कार्यालय कलेक्टर, जिला कटनी मध्यप्रदेश एवं पदेन समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अधिसूचना

(भू–अर्जन पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के अंतर्गत)

कटनी दिनांक 22/10/2020

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी/भू–अर्जन अधिकारी कटनी जिला कटनी के राजस्व प्रकरण क्रमांक/01/अ–82/भू.अ./2020–21 म0प्र0 शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्र0 एफ–16–15–(1)–2014–सात–शा. 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जो कि म0प्र0 राजपत्र दिनांक 03 अक्टूबर 2014 को प्रकाशित किया गया है के द्वारा जिले के कलेक्टरो को समुचित सरकार माना गया है तथा भू–अर्जन प्रकरणो में 10,000 हे0 (दस हजार हे0) से कम के प्रकरणो में जो सार्वजनिक प्रयोजन से संबंधित है, में निर्णय हेतु अधिकृत किया गया है।

भारत सरकार द्वारा जारी अध्यादेश जो कि भारत का राजपत्र दिनांक 31 दिसम्बर 2014 को जारी किया गया है। अध्यादेश में नया अध्याय IIIA लागू किया गया है जिसके अंतर्गत धारा 10(A) के अनुसार समुचित सरकार (जो कि अधिनियम की धारा 3(e) के अनुसार राज्य शासन है।) को (धारा 9 समाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट एवं अध्याय–तीन के अनुसार इस धारा के उपबंध ऐसी परियोजनाओ की दशा में जो दीर्घकालीन प्रकृति है, जैसे कि रेल, राजमार्गो, प्रमुख जिला सडके, सिंचाई नहरे, विद्युत लाईने आदि लागू नही होगें) उक्त के तहत् यह अधिकार दिया गया है कि वह उल्लेखित परियोजनाओ में भू7अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय II तथा III के प्रावधानो से विमुक्त कर सकती है।

कटनी जिले में भारत सरकार के रेल मंत्रालय से स्वीकृत वृहद रेल परियोजना है जिसमें वृहद पुल निर्माण तथा उस पर रेल यातायात हेतु निर्माण कार्य जो देश व प्रदेश विकास, जनहित संबंधी है। अतः से अनुसूची में दर्शाये जा रहे प्रस्तावित प्रकरणो में भू–अर्जन कार्यवाही हेतु भारत सरकार द्वारा भू–अर्जन संबंधी जारी अध्यादेश दिनांक 31.12.14 एवं 03.04.15 एवं 09.11.17 में दिये गये निर्देश एवं निहित व्यवस्था तथा राज्य शासन से अधिकृत क्षमता अनुसार प्रकरणो में भू–अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय II तथा III के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किया जाता है।

अनुसूची

प्रकरण में अर्जन की जाने वाली निजी भूमि का विवरण इस प्रकार है:–

जिला	तहसील	ग्राम	कुल प्रभावित खातेदारो की संख्या	कुल प्रभावित ख0नं0	अर्जन की जाने वाली निजी भूमि का कुल रकवा हे0 में	सार्वजनिक प्रयोजन
						कटनी–सिंगरौली डबलिंग परियोजना के अंतर्गत कटंगीखुर्द–झलवारा स्टेशन के मध्य कार्ड लाईन के निर्माण हेतु
कटनी	कटनी	खिरहनी 28 कटंगीकला 29	12 04	12 04	1.89 0.97	
कुल योग		02	**16**	**16**	**2.86 हे0**	

क्रमशः–2

Scanned with CamScanner

अनुसूची

प्रकरण में अर्जन की जाने वाली शासकीय भूमि का विवरण इस प्रकार है:–

जिला	तहसील	ग्राम	शासकीय भूमि के अर्जन का कुल रकबा हे0	सार्वजनिक प्रयोजन
कटनी	कटनी	खिरहनी 28 कटंगीकला 29	0.05 0.09	कटनी–सिंगरौली डबलिंग परियोजना के अंतर्गत कटंगीखुर्द–झलवारा स्टेशन के मध्य कार्ड लाईन के निर्माण हेतु
कुल योग		02	0.14	

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू–अर्जन अधिकारी कटनी के कार्यालय में किया जा सकता है।

अनुविभागीय अधिकारी एवं
भू-अर्जन अधिकारी
कटनी (म.प्र.)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(शशिभूषण सिंह)
कलेक्टर जिला कटनी एवं
पदेन समुचित सरकार म0प्र0शासन
राजस्व विभाग

कलेक्टर
कटनी (म.प्र.)

पृ0क्र0 / /अ.वि.अ. /भू.अ. / 2020
कटनी दिनांक / /10/2020

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख राजस्व आयुक्त म0प्र0भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
2. कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. अपर संचालक जनसंपर्क विभाग, संचालनालय बाणगंगा रोड, भोपाल म0प्र0 की ओर एक राज्य स्तरीय समाचार पत्र तथा एक स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु।
4. उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम मध्य रेल्वे जबलपुर को सूचनार्थ।
5. जिला विज्ञान एवं सूचना अधिकारी जिला कटनी की ओर जिले की बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. अनुविभागीय अधिकारी/भू–अर्जन अधिकारी कटनी जिला कटनी को सूचनार्थ नोटिस बोर्ड पर चस्पा एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. तहसीलदार कटनी/मु0कार्य0अधि0 जनपद पंचायत कटनी को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव
म0प्र0 शासन राजस्व विभाग
जिला कटनी

कलेक्टर
कटनी (म.प्र.)

Scanned with CamScanner